

28/11/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरपुत्र लखन
 उपाधि वकील पत्रावली द्वारा मूल
 वाद में एच. एच. 7 R II CPC पर बहस
 सुनो जाकर ए. एच. एच. एच. एच. एच. एच.
 वादिया का खारिज किया जा चुका है।
 अब पत्रावली एच. एच. एच. एच. एच. एच.
 विधेयता में आगे कार्यवाही का कोई
 औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः पत्रावली
 औचित्यहीन होकर आवासीय कार्यवाही हेतु
 की जाकर एच. एच. एच. एच. एच. एच. एच.
 है। पत्रावली कंसल सुभार होकर बाद
 लखनवाला दायरे में रहने लगे।

Ums!
 उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेक

